भारत सरकार
योजना मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 564
दिनांक 27 नवम्बर, 2014 को उत्तर देने के लिए

आधार कार्ड का अनिवार्य उपयोग

564. श्रीमती गुन्डु सुधारानी:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने के संबंध में सरकार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने आधार संबंधित अपने आदेश पर अन्तरिम रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है, यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है; और

(ग) सरकार द्वारा न्यायालय के आदेशों के बावजूद रसोई गैस के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) - योजना मंत्रालय
तथा रक्षा राज्य मंत्री
(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख) आधार का नामांकन स्वैच्छिक आधार पर किया जा रहा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिनांक 23.09.2013 को एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमें यह निर्देश दिया गया कि "किसी प्राधिकारी द्वारा आधार को अनिवार्य किए जाने संबंधी परिपत्र जारी किए जाने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को इसके प्राप्त न होने के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए।" दिनांक 26-11-2013 को जारी अन्य अंतरिम आदेश में न्यायालय ने प्रभावी निर्देश देने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिवादी के रूप में अभियोजित किया और निर्देश दिया कि दिनांक 23-09-2013 का अंतरिम आदेश लागू रहेगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23-09-2013 के आदेश में संशोधन और स्पष्टीकरण के लिए दायर अंतरिम याचिका लंबित है और अभी निर्णयाधीन है।

(ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) ने सूचित किया है कि एमओपीएनजी द्वारा 15 नवम्बर, 2014 से 54 जिलों में पुनः प्रारंभ की गई संशोधित डीबीटीएल स्कीम के लिए आधार अनिवार्य नहीं है। अगर किसी एलपीजी उपभोक्ता के पास आधार नहीं है तो वह आधार का उपयोग किए बिना अपने बैंक खाते में सब्सिडी प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है।

******